हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा, 2024

केवल इस पत्र को सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) के कार्यालय में कोष–पत्र सहित प्रेषित करें। बिना कोष–पत्र के कोई आवेदन पत्र स्वीकार न होगा।

(परीक्षार्थी द्वारा साफ–साफ सभी प्रविष्टियों को पूरा भरा जाय)

(हाईस्कूल अथवा इण्टर स्पष्ट रूप में अंकित करें)

परीक्षा का नाम

(अंकों में)

अनुक्रमांक {

(शब्दों में)

सन्निरीक्षा के लिए आवेदन–पत्र

सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) के कार्यालय में कोष–पत्र की मूल प्रति/ई–चालान सहित परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्राप्त हो जाय। सन्निरीक्षा–शुल्क बैंक ड्राफ्ट व पोस्टल–ऑर्डर के रूप में स्वीकार नहीं किए जायेंगे और ऐसे आवेदन–पत्र निरस्त समझे जायेंगे। सन्निरीक्षा–शुल्क रू0 100/– विषय प्रति प्रश्न–पत्र निर्धारित हैं।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
कार्यालय रामनगर (नैनीताल)।

महोदय,

मैं अपनी उत्तर–पुस्तकों के अंकों की सन्निरीक्षा, परिषद् के अध्याय–12, विनियम–16 एवं इस आवेदन–पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र पर मुद्रित सन्निरीक्षा के नियमों एवं विषयों के अन्तर्गत कराना चाहता हूँ:–

1. परीक्षार्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)
2. अनुक्रमांक (हिन्दी में) (अंग्रेजी में)
3. विद्यालय का नाम (अंग्रेजी में)
4. रू0 ..... कोष पत्र संख्या ..... दिनांक.....
   राजकोष ..... में जमा किया।

(सन्निरीक्षा के विषय यहाँ अंकित करें)

5. विषय का नाम जिसमें सन्निरीक्षा करानी है — 1. 2. 3. 4. 5. 6.
6. पूरा पता –
   आधार स0– मोबाइल न0–

दिनांक 202.....

भवदीय
प्रार्थी का हस्ताक्षर

सन्निरीक्षा के नियम

1. शुल्क सन्निरीक्षा–रू0 100/– सन्निरीक्षा–शुल्क विषय के प्रति प्रश्न–पत्र की दर से जमा कर मूल कोष–पत्र के साथ निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने पर कोई भी परीक्षार्थी चाहे वह परीक्षा में उर्त्तीण हुआ हो अथवा अनुर्त्तीण, अपने प्राप्तांको का सन्निरीक्षण करा सकता है। यह शुल्क बालकों एवं बालिकाओं के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी चाहे उसने केवल एक ही विषय में परीक्षा दी हों अथवा समस्त विषयों में, सभी के लिए समान है। शुल्क को उत्तराखण्ड के किसी भी राजकोष में 0202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, 01– सामान्य शिक्षा, 102– माध्यमिक शिक्षा, 02– बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क के खाते में जमा करना चाहिए। कोष–पत्र (चालान) को संस्थागत परीक्षार्थी, संस्था के प्रधानाचार्य से एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थी, केन्द्र– व्यवस्थापक से सत्यापित करा लें।

सन्निरीक्षा हेतु आवेदन–पत्र के साथ राजकीय कोष–पत्र की मूल प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें और उसे परीक्षाफल प्रकाशित होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय में अवश्य भेज दें। उत्तराखण्ड के बाहर से आवेदन पत्र भेजने वाले परीक्षार्थियों को सचिव/कार्यालय में रेखांकित पोस्टल ऑर्डर अथवा स्टेट बैंक आफ इण्डिया की रामनगर (नैनीताल) शाखा पर देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा अपना सन्निरीक्षा शुल्क भेजना चाहिए।

परीक्षाफल प्रकाशन से 30 दिन के उपरान्त प्राप्त किए गए आवेदन–पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और विलम्ब हेतु किसी प्रकार का तर्क (जैसे नियम अनभिज्ञता, अंक–चिट की अप्राप्ति, बीमारी आदि) मान्य नहीं होगा।

2. सन्निरीक्षा के कार्य में परीक्षार्थी की उत्तर–पुस्तकों की गुण जॉच सम्मिलित नहीं है। इसमें यह देखा जाता है कि क्या अलग–अलग प्रश्नों में दिए गए अंकों का योग करने, उन्हें अग्रेनीत करने तथा किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। सन्निरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों को उत्तर–पुस्तिकाओं में परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रश्नों के उत्तरों का कदापि पुर्नमूल्यांकन नहीं किया जायेगा, परन्तु यह कि यदि किसी परीक्षार्थी की उत्तर–पुस्तिका में प्रश्न के सही उत्तर पर शून्य अंक दिये गये हैं तो उस प्रश्न का विषय विशेषज्ञ से पुर्नमूल्यांकन कराया जायेगा।

3. सन्निरीक्षा के परीक्षार्थी द्वारा आवेदित समस्त प्रकरणों का परीक्षाफल, जहॉ उसका प्रभाव परीक्षाफल पर पडता है (अंक तथा श्रेणी अथवा अनुत्तीर्ण अथवा उत्तीर्ण) सन्निरीक्षा की समाप्ति पर मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रधानाचार्य/केन्द्र–व्यवस्थापक को तत्काल भेज दिया जाता है।

4. सन्निरीक्षा के समस्त कार्य गोपनीय होते हैं। मूल्यांकन की हुई उत्तर–पुस्तकें एवं अंक–चिटें गोपनीय अभिलेख है। अतः उन्हें किसी भी परीक्षार्थी अथवा उनके अभिभावक आदि को नहीं दिखाया जा सकता। उत्तर–पुस्तिकाओं की एक बार सन्निरीक्षा हो जाने पर पुनः सन्निरीक्षा नहीं होगी। अंकों का पुनः मूल्यांकन सम्भव नहीं है। इन विषयों पर पूछ–ताछ करने पर कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा। सन्निरीक्षा के परीक्षाफल के लिए कृपया 28 फरबरी के पूर्व पत्र–व्यवहार ना करें, क्योंकि उक्त तिथि से पूर्व आए हुए पत्रों का उत्तर देना सम्भव नहीं हो सकेगा।

5. उत्तर–पुस्तकों के सन्निरीक्षा कार्य में नवम्बर के अन्त तक का समय लग सकता है। सन्निरीक्षा के फलस्वरूप बहुत थोडे ही परीक्षार्थियों के परीक्षाफल में अनुकूल

परिवर्तन होते हैं। अतः परीक्षार्थियों को चाहिए कि सन्निरीक्षा परीक्षाफल की प्रतीक्षा ना करें। यदि वे परिषद् की आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने का विचार करते हैं तो उसके लिए आवेदन–पत्र निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा करा दें या विद्यालयल में प्रवेश ले लें। सन्निरीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा में बैठे रहना उचित नहीं है। जिन परीक्षार्थियों को कृपांक मिलने से उत्तीर्ण अथवा योग वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रेणी परिवर्तन की आशा है, उन्हें उन सभी विषयों की सन्निरीक्षा कराना हितकर होगा, जिनमें वे परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। स्मरण रहे कि सन्निरीक्षा शुल्क रू0 100/– विषय के प्रति प्रश्न–पत्र की दर से जमा कराना होगा। जिस विषय की सन्निरीक्षा करानी हो उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक है।

6. जो परीक्षार्थी सन्निरीक्षा के फलस्वरूप हाईस्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायेंगे, वे यदि सन्निरीक्षाफल घोषित होने के पूर्व कक्षा 10 में प्रवेश ले चुके होंगे तो भी उनके लिए कक्षा 11 शैक्षिक वर्ष सन्निरीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 10 दिन के बाद प्रारम्भ हुआ माना जायेगा।

7. आफलाइन आवेदन–पत्र के साथ एक सादा लिफाफा, पते सहित (जिस पते पर परीक्षार्थी सन्निरीक्षा परिणाम की सूचना चाहता है) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिस पर रजिस्ट्री हेतु निर्धारित शुल्क का डाक टिकट लगा हो।